श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2011 को आहूत आपूर्त्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :- 223

(1) उपस्थिति :- यथा उपस्थिति पंजी।

(2) कूपन वितरण :- सभी प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रो में राशन/किरासन कूपन वितरण का योजनावार प्रतिशत निम्नवत है :-

क0	प्रखंड/शहरी क्षेत्र का नाम	अन्त्योदय अन्य योजना	बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0 किरासन तेल	बी0पी0एल0 लाल कार्डधारी (खाद्यान्न हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सदर, मुंगेर	80%	81%	79%	
2.	जमालपुर	88%	81%	79%	
3.	धरहरा	70%	70%	69%	
4.	बरियारपुर	75%	72%	73%	
5.	खड़गपुर	45%	45%	44%	
6.	टेटियाबम्बर	68%	53%	47%	
7.	असरगंज	81%	75%	78%	
8.	तारापुर	73%	75%	71%	
9.	संग्रामपुर	85%	85%	83%	
10.	नगर निगम, मुंगेर	65%	62%	64%	
11.	नगर परिषद, जमालपुर	72%	65%	68%	
12.	नगर पंचायत, खड़गपुर	44%	38%	42%	

खड़गपुर अनुमंडल अन्तर्गत खड़गपुर/टेटियाबम्बर प्रखंड एवं नगर पंचायत, खड़गपुर का कूपन वितरण का प्रगति काफी कम हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा बताया गया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार कूपन वितरण का कार्य प्रारंभ है। अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर को निदेश दिया गया कि चार दिनों के अन्दर शत–प्रतिशत कूपन का वितरण करना सुनिश्चित करे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे 2 से 4 दिनों के अन्दर शत–प्रतिशत कूपन का वितरण कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि जो लाभुक अपना कूपन प्राप्त नहीं किये है, उसके लिए एक आम सूचना का प्रकाशन पंचायत स्तर पर करें। उसके बाद भी यदि कूपन नहीं प्राप्त करते है तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाए।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में राशन कार्ड का वितरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण कूपन वितरण में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया कि जिस लाभुकों का नाम सर्वेक्षण सूची मे है एवं किसी कारणवश उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला है, वैसे लाभुकों को उचित पहचान पर कूपन का वितरण करे। ऐसे लाभुकों को परिवार के मुखिया को ही कूपन दे, अन्य परिवार के सदस्य को नहीं।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि कूपन वितरण का अंतिम प्रतिवेदन शीध्र भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही यह प्रमाण–पत्र दें कि अवितरित कूपन मुखिया/वार्ड पार्षद या किसी अन्य जन प्रतिनिधि अथवा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास नहीं है, तथा अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वापस कार्यालय में जमा कर लिया गया है।

(3) खाद्यान्न उठाव/वितरण :- जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि मई–2011 का शत–प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव हो गया है एवं जून–11 खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र को छोड़कर शेष का खाद्यान्न का उठाव हो गया है। आपूर्ति निरीक्षक, खड़गपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर को निदेश दिया गया कि 4–4 पंचायतों का रोस्टर बनाकर तीन से चार दिनों के अन्दर शत–प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव कराना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा बताया गया कि बैंक में राशि जमा करने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम संक्षिप्त (Short) में लिख जाता है, जिससे कि राज्य खाद्य निगम के खाता में राशि Transfer में कठिनाई होती है। निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा राशि जमा करने के बाद पास बुक अद्यतन करावें जिससे यह पता चल पायेगा कि राशि Transfer हुआ है या नहीं। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि संबंधित बैंक के प्रबन्धक एवं जिला समन्वयक (D.C.O) को जन वितरण प्रणाली विक्रेता का पुरा नाम लिखने हेतु अनुरोध करें। 1222

(4) किरासन तेल :- विभागीय पत्रांक 5304 दिनांक 09.12.09 जिसकी प्रति सभी संबंधित को इस कार्यालय के ज्ञापांक 24 दिनांक 15.01.10 द्वारा भेजी गई है, के द्वारा किरासन तेल उठाव की तिथि निम्नवत निर्धारित है :-

थोक विक्रेता

10 वीं तारीख –	आवंटन का 60 प्रतिशत तक
17 वीं तारीख –	आवंटन का 85 प्रतिशत तक
25 वीं तारीख –	आवंटन का 100 प्रतिशत तक

जन वितरण प्रणाली / ठेला भेण्डर

11 वीं तारीख –	आवंटन का 60 प्रतिशत तक
18 वीं तारीख –	आवंटन का 85 प्रतिशत तक
26 वीं तारीख –	आवंटन का 100 प्रतिशत तक

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। यह भी निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता जिस दिन किरासन / राशन का उठाव करेगें उसके दो दिन बाद बॉटना शुरू करेगे।

(5) अन्यान्य :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि राशन / किरासन का वितरण हर हाल में कूपन के आधार पर ही कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में सर्वेक्षण सूची के आधार पर वितरण नहीं हो।

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि कूपन वितरण के क्रम में यदि कूपन कम पाया गया हो तो मीसींग कूपन पंचायतवार (कूपन के क्रमांक सहित) प्रतिवेदन शीध्र भेजना सुनिश्चित करे, ताकि विभाग को संसूचित किया जा सके।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह० **जिला पदाधिकारी,**
मुंगेर।

ज्ञापांक 527 / जि0आ0, दिनांक 23.06.2011

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, मुंगेर / नगर परिषद, जमालपुर / नगर पंचायत, खड़गपुर / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर / डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर / सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
ह० **मुंगेर।**

ज्ञापांक 527 /जि0आ0, दिनांक 23.06.2011 1221

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 23/06/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।